न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

रसद विविध :: 06/2018 ::
जी.सी.एम.एस नम्बर : 2018/00252

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थी:–

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पाली

प्रवीण अग्रवाल पुत्र रामनाथ, निवासी 504, इन्द्रा कॉलोनी, पाली हाल मालिक मै. कैलाश मिष्ठान एवं नमकीन सूरजपोल पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अरिहन्त चौपड़ा उपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक 21-1-21

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म मै. कैलाश मिष्ठान एवं नमकीन, सूरजपोल, पाली से वक्त निरीक्षण दिनांक 10.04.2018 को मौके पर 8 घरेलू गैस सिलेण्डर जिनमें दो गैस सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी क्षमता 14.2 किग्रा (जिनमें एक खाली व एक 7.000 किग्रा गैस से भरा हुआ), तीन गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी क्षमता 14.200 किग्रा (जिनमें दो खाली व एक भरा हुआ) तथा तीन गैस सिलेण्डर रिलायन्स कम्पनी क्षमता 13.500 किग्रा (जिनमें तीनों खाली) का अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लिए जाने से जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 10.04.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु जिला रसद अधिकारी श्री दिनेश बिश्नोई (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) मय प्रवर्तन निरीक्षक श्री कमल कुमार एवं भावना दयाल, प्रवर्तन निरीक्षक रानी द्वारा संयुक्त रूप से सूरजपोल पाली स्थित मैसर्स कैलाश मिष्ठान एवं नमकीन, सूरजपोल पाली पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी श्री प्रवीण अग्रवाल पुत्र रामनाथ उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही फर्म का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री मोहनलाल पुत्र ढलाराम एवं मो. युनूस पुत्र मो. मुंशी की उपस्थिति में फर्म की जांच करने पर 8 घरेलू गैस सिलेण्डर जिनमें दो गैस सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी क्षमता 14.2 किग्रा (जिनमें एक खाली व एक 7.000 किग्रा गैस से भरा हुआ), तीन गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी क्षमता 14.200 किग्रा (जिनमें दो खाली व एक भरा हुआ) तथा तीन गैस सिलेण्डर रिलायन्स कम्पनी क्षमता 13.500 किग्रा (जिनमें तीनों खाली) फर्म पर पाये गये। मौके पर अप्रार्थी से वांछित दस्तावेज मांगने पर घरेलु गैस सिलेण्डर खाली एवं भरे हुए संग्रहण करने अथवा बिक्री करने से संबंधित किसी प्रकार के वैध दस्तावेज नही थे न ही अप्रार्थी ने उपलब्ध करवाएं। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स बी. के. एन्टरप्राईजेज पाली के प्रतिनिधि से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल से करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2021.03.05 19:45:03 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलक्टर, पाली

आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री पवनकुमार पुत्र गोपाराम प्रजापत निवासी पाली हाल गोदाम कीपर मैसर्स बी. के. एन्टरप्राईजेज, पाली को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर व अवैध रिफिलिंग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डरो को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी फर्म का मालिक है, लेकिन उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से संग्रहण नहीं किया गया है। प्रार्थी ने कोटा पूरा करने के लिहाज से झुठा प्रकरण बनाया है। जो सिलण्डर प्रार्थी ने जब्त किए है, वे प्रार्थी व उसके मित्र मोहम्मद युनुस व प्रतीक अग्रवाल के रखे थे, जो गैस सिलेण्डर के वितरक के इंतजार में रखे हुए थे तथा मौके पर सिलेण्डरों के मालिक अपनी डायरी के साथ मौजूद थे। इसके बावजूद भी प्रार्थी ने गलत प्रकरण बनाया है। अप्रार्थी का प्रतिष्ठान मिठाई का है तथा उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार द्रवित, पेट्रोलियम गैस का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया गया, न ही उसके द्वारा नियमों की अवहेलना की गई है। इसलिए अप्रार्थी के जब्तसुदा सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग में लिया जाना सिद्ध नहीं होने से रिलीज करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से वक्त निरीक्षण 8 घरेलू गैस सिलेण्डर जिनमें दो गैस सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी क्षमता 14.2 किग्रा (जिनमें एक खाली व एक 7.000 किग्रा गैस से भरा हुआ), तीन गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी क्षमता 14.200 किग्रा (जिनमें दो खाली व एक भरा हुआ) तथा तीन गैस सिलेण्डर रिलायन्स कम्पनी क्षमता 13.500 किग्रा (जिनमें तीनों खाली) पाये गये। उपरोक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग किए जाने के कारण जब्त कर रूबरू मौतबिरान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में सुपुर्दगीनामे पर दिए गए। जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर अलग–अलग कम्पनियों के पाये गये है, जिनमें दो सिलेण्डरों में गैस भरी हुई पाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर अप्रार्थी एवं उसके मित्रों के थे तथा रिफलींग के लिए रखे हुए थे। यह तथ्य मानने योग्य नहीं है, क्योंकि गैस सिलेण्डर कम्पनियों द्वारा किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेण्डर उसकी गैस डायरी में अंकित पत्ते पर पूर्ण भरा हुआ सिलेण्डर [illegible] करवाया जाता है लेकिन अप्रार्थीसे जब्तशुदा सिलेण्डरों मे से [illegible] हुई थी इससे गैस का उपयोग व्यावसायिक परिसर में किया जाना [illegible] होता है क्योंकि सिलेण्डर आधा खाली था इससे यह भी सिद्ध होता है की जब्तशुदा सिलेण्डर भरवाने हेतु नही रखे गये थे। वक्त निरीक्षण प्रार्थी को किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र या गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे तथा जो दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किए गए है, उनके संबंध में यह सिद्ध नहीं कर पाए कि उक्त सिलेण्डर दस्तावेज से संबधित व्यक्तियों के ही है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने प्रतिष्ठान से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:45:03 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

जब्त सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग किया है। ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थी श्री प्रवीण अग्रवाल द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरो का दूकान में अवैध रूप से संग्रहण किए जाने पर जब्तसुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डर जिनमें दो गैस सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी क्षमता 14.2 किग्रा (जिनमें एक खाली व एक 7.000 किग्रा गैस से भरा हुआ), तीन गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी क्षमता 14.200 किग्रा (जिनमें दो खाली व एक भरा हुआ) तथा तीन गैस सिलेण्डर रिलायन्स कम्पनी क्षमता 13.500 किग्रा (जिनमें तीनों खाली) को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 8618/खा.ले./नीति/6A/2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F 04{23} ख. ले/नीति/6A/89 जयपुर दिनाँक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21-1-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:45:03 IST
Reason: SelfAttested